परियोजना का नाम:— चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि .

है0 क्षेत्र में अस्त्र कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। किल् अस्तानित क्रिकेटिंग

प्रारूप-30

परियोजना का नाम:- गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना / अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector-CHAMOLI

No---

Dated----- Dated-----

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1:143 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of (name of user agency) for secon purpose for diversion of forest land) in..... district falls within jurisdiction of...... village (s) in..... tehsils.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ... to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3

(2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve reognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

जिला समाज कळ्याण अधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

परियोजना का नामः— चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पिप्पंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमिहै0 क्षेत्र में...्रीटी...कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पिप्पंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। किलाप्रसाबित भूनि - 1.1463 है।

FORM-II (for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector---changle

No---

Dated----

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non- forest purposes, it is certified that 1943 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of page. (name of user agency) for school (purpose for diversion of forest land) in.... district falls within jurisdiction of...... village (s) in..... tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ... to ...annexure....
- (b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of... villages(s) is enclosed as annexure.
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section
 - 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl: As above

जिला समाज क्रत्याण अधिकारी

प्रभागीय वस्तिकारी

Signature (Full name and official seal of

परियोजना का नामः— चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमिहै0 क्षेत्र में....कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। किल्लास्ताबिल अभि 1.1463 है।

प्रारूप-30.1

परियोजना का नाम:- गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT - Champion (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Chamali

111111111111

Dated: 31-2019

Deputy Commission in Chairman

District Level Committe

विना अ

्रप्रभागीय वनाधिकारी केंदारनाथ वन्यजीव प्रभाग It is further certified thet-Minutes of Meeting of Construction of Gairsain Pumping Water Supply Scheme regarding FRA is as following:

Sl. No.		Remark Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.	
(a)	The Complete process of identification and settlement of right under the FRA had been carried out for the entire. In the control of the entire of the entire of forest land proposed for Diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest Right committer (s), Sub division Level Committee (s) are enclosed as annexure.		
(b)	The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as requied under section 3 (2) of the FRA have been Completed and the Gram Sabhas have been given consent to it.	Yes copy of record attached as there are no havitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection Certificate concerned villages regarding construction of Water Supply Scheme is attached.	
©	The Proposal does not invole recognized rights of Primitive Tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.	

जिला पंचायत सदस्य

जिला समाज कर्याण अधिकारी जिला समाज कर्याण अधिकारी विमोली चमोली प्रभागीय वनाधिकारी क्रेसारिमान्न-स्थिगजीव प्रभाग गोपेश्वर।


20th marter

> Executive Engineer उद्यक्षिशासीक्ष्मिसंस्ता,

Uttaramand Pay val Nigem Karangrayag (Chámoli) उत्तराखण्ड पेयजल निगम,

कर्णप्रयोग (अपोली)

(Homeroy year broken any



जिलाधिकारी, चमोली।

हसालदार

परियोजना का नामः— चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पिन्पंग पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल वन पंचायत भूमि 1.1463 है0 एवं सिविल सोयम भूमि .
______है0 क्षेत्र में 4.73 कि0मी0 लम्बी गैरसैंण पिन्पंग पेयजल योजना के निर्माण कार्य। किल्य स्तारित भूति-1.1463 हैं0।

प्रारूप—30.2 परियोजना का नामः— गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

कार्यालय उप जिलाधिकारी, अर्थे अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, उपखण्ड - प्रिक्षेत्र के अन्तर्गत (के आरक्षित वन भूमि, — हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि। प्रिक्टें वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1-1463 हे० वन भूमि) का उपक्रिक वन प्रिक्टें प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील को दिनांक ———— को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:– अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री वैजन पुराता, उप जिल्लाधिकारी एवं अध्यक्ष प्राप्ता आक्रिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है। 1— श्री विभव सुनी उपजिलाधिकारी — २- श्री मुन्न स्थाप सहायक समाज कल्याण अधिकारी — अ 2- श्री निर्मा सहायक समाज कल्याण जालका स्वर्थ स्वर्थ निर्माण स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्य स्वर्य स्वर्थ स्वर्य स्वर्य स्वर्थ स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्व हेत् ी । 14 कि ३ हे वार्ड सं० 14 मरोड्रा हतु. १.१.५६० र प्रियाजना पूर्व के पक्ष में समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लिखत नहीं है। भूम प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में ुस्स्वित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ————द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। में वेठक विभाग वि भविसामिति उपखण्ड में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी। क्ष्यल के पंचायत चार्ड सं० २६ समझ तल्ला विश्वत शेखेंण (अमोखी) तहसील-थाई हैं। 24 रीहड़ा विग्रंखा शैरीज (चमोली) जाना जिलाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपवण्ड स्तरावाम अधिकार समिति

प्रारूप-30.4

परियोजना का नाम:- गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
0	KUNWAR SINGH RAWAT	Leave 1
2	तीना देवी राज गडन-२-	20 9,811 2,011
(3)	याजन रावत	Rekaul
9	SAROJ SHAH WORD OY	22(3)19
(3)	जागदीया होर्गिड यात समामपवाडे ड	21/62/019
(8)	Rapadra Sigh Shah ward 20 06	Kay .
19	Dhisted Singh want of	- cut 22/7/19
0		

A.A.E Const. Division Tarakhand Peyjal Niga Karanprayag (Chamoli)

July 1

ह0/- अधिभारति जीवनारी ग्राम प्रधान नेपार क्यायन नेरसीना जनगर क्यायन नेरसीना


जोर्भेग प्रिया चेवा अ अभान अहिशासी अभियन्त्रं महिलाज्यावम् १२०१९ उत्तरास्वण्ड पे किएमं द्रावियां।

अहोद्यु निवेदनं से साध्य भागात करना है कि लायुक विभाग के डारा रामगंगा नहीं के अरावीलेंग । मेरलेंग नगर पंचामत मेरले हेल जब निजाण पुर मेर का संवेत्रण का कामी किमा गमा है। रामगंगा नदी रें। कात्मीमाटी रंग्व दिवाळीरकाल तक सम्मेण मीन गाम पंचामत राव वन पंचामत मीड़, की आ रही हैं, महें उसर के अंग के अन्तात व्यक्ति से नेपा है अन्वस्त्वण के निगम अधिया की D उस्त नव निमाव पेर कीर के जाम पंचापत मरोड़ा के यन्तेगत सम्प्रेय गाँवी के पानी दिया जाम मा गाम में प्रति में वर्निक ने का प्रीमा ता ता ता के मीन के पेपता की स्विधा मिन तभी गाम पंचापत वनम्यामत मोरेडा वाल कप्मी में हेत देन के तथार है, जन पंचापत निम्न के प्राप्त के निम्न के लियार है, जन पंचापत निम्न के प्राप्त के निम्न के निम्न के लियार है, जन पंचापत निम्न के प्राप्त के जाना के जाना

-

-

(सरपंत) (३५५ शा)



Down Sport

अजनगरमह स्मेरालालमाली माटी प्राप पिरोर्ड राजीक CHARING विक्रमार्थे द करवानाम्ह केन्ट्राक्ट आगन्द्र सिंह Mohansingh SSBIGHT प्राक्षिय-अंकित पाल राजिल कुमर राजिल ह

अनापति प्रमाण पत्र

#					
		. (4	ग्राम		1
			TITI	1171717	44/4
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	01213130	٣١٧	991911	11101
CH	421747	(

प्रमाणित किया जाता है कि नगर पंचायत गैरसैंण जपपद चमोली के अन्तर्गत रामगंगा नदी से नगर पंचायत गैरसैंण पिंग पेयजल योजना के अन्तर्गत जल संग्रहण टैंक एवं ट्रिटमेंट प्लान हेतु वन पंचायत लिंक गेंग जाता मरोडा क्षेत्र की चयनित भूमि उत्तराखण्ड पेयजल निगम कर्णप्रयाग को निशुल्क प्रदान की जायेगी इसमें किसी भी प्रकार कर आपित नहीं होगी। ग्राम पंचायत मरोडा के अन्तर्गत सम्पूर्ण ग्रामों को भी पेयजल आपूर्ति होने पर ही निशुल्क चयनित भूमि दी जायेगी।

सरपंच वन पंचायत तलगाँव (मरोडा)

क्षण्यसः १८ ६ तंत्रुकः क्षित्रस्य सन् वंचायत

क्षेत्र (च्यांना)

See Jag